प्राचार्य का कार्यालय
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलज, गया

प्राचार्य कार्यालय के ज्ञापांक–719 दिनांक–27.3.2023 के आलोक में आज दिनांक–12:00 बजे अपराहण् में प्राचार्य कक्ष में संस्थान के विभिन्न विभागों एवं छात्रावासों मे सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए नया Security Guard नियुक्त करने हेतु प्रकाशित निविदा पी0आर0 संख्या–15800(Health)2022–23 एवं 16931(Health)2022–23 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2988 / वि0 दिनांक–23.3.2023 के आलोक में विचारार्थ हेतु क्रय समिति की बैठक आहुत की गई, जिसमें निम्न सदस्यों द्वारा भाग लिया गयाः–

01. प्राचार्य–

02. नोडल पदाधिकारी, सिक्यूरिटी गार्ड–

03. फिजियोलॉजी–

04. जीवरसायन–

05. एनाटॉमी–

06. एफ0एम0टी0–

07. पी0एस0एम0–

08. माईक्रोबायोलॉजी–

09. पैथोलॉजी–

10. फार्माकोलॉजी–

11. बरसर–

12. अध्यक्ष केन्द्रीय पुस्तकालय–

13. प्रभारी प्राध्यापक आंतरिक प्रशासन–

14. प्रभारी प्राध्यापक छात्र शाखा–

15. महाप्रबंधक, जिला उद्योग विभाग, गया–

बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक–28.3.2023 को प्राचार्य के अध्यक्षता में क्रय समिति के सभी सदस्यों के समक्ष संस्थान के विभिन्न विभागों एवं छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रकाशित निविदा पी0आर0 संख्या–15800(Health)2022–23 एवं 16931(Health)2022–23 के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2988/वि0 दिनांक–23.3.2023 को प्रस्तुत किया गया। क्रय समिति के सभी सदस्यों द्वारा एक–एक करके वित्त विभाग के संकल्प का अवलोकन किया गया एवं उक्त वित्त विभागीय संकल्प के अनुपालन हेतु निम्न निर्णय लिया गया:–

1. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 01.4.2023 को बढाने हेतु शुद्धि पत्र पेपर में प्रकाशन हेतु भेजने का निर्णय लिया गया।
2. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक–01.4.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक–10.4.2023 के संध्या 05:00 बजे तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया एवं तकनिकी निविदा खोलने की तिथि दिनांक–11.4.2023 को 12:00 बजे दिन में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
3. उक्त वित्त विभागीय संकल्प के आलोक में निविदादाता वित्तीय निविदा में शुल्क न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ और 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में) तथा अधिकतम 7 प्रतिशत (संव्यवहार शुल्क सहित) अंकित करने का निर्णय लिया गया।
4. उक्त वित्त विभागीय संकल्प के आलोक में उक्त निर्धारण न्यूनतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से न्यून एवं निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से उच्च दर अंकित करने वाले निविदादाता की वित्तीय निविदा विचारणीय नहीं होगी। सेवा शुल्क के दर में अंकित रुपये में दशमलव के पश्चात 2 अंक से आगे अंक को नजरअंदाज कर दिया जायेगा का निर्णय लिया गया।
5. निविदा मे यदि एक से अधिक निविदादाता द्वारा उद्धृत(Quoted) न्यूनतम सेवा शुल्क की दर समान पाई जाती है तो वैसी स्थिति में प्रकाशित निविदा के Annexure-6 के कंडिका–6 के क्रम संख्या–i, ii में वर्णित के आलोक में वित्तीय निविदा का निष्पादन किया जायेगा। वित्तीय निविदा के निष्पादन नहीं होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से वित्तीय निविदा का निष्पादन किया जायेगा एवं साथ ही प्रकाशित निविदा के शेष शर्त यथावत रहेगा तथा पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराने का निर्णय लिया गया।
6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2988/वि0 दिनांक–23.3.2023 के कंडिका– 4 के क्रम संख्या (iv)से (vi) तक पालन करना होगा का निर्णय लिया गया।
7. इस शुद्धि पत्र के प्रकाशन के पूर्व वैसे निविदादाता जिनका निविदा पूर्व में कार्यालय में प्राप्त हो चुका है वे पुनः सिर्फ वित्तीय निविदा टंकित कर सील्ड करते हुये एक बड़े लिफाफे में सील्ड कर निविदा संख्या लिखते हुए प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के पदनाम से निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना होगा का निर्णय लिया गया।
8. नया वित्तीय निविदा ही मान्य होगा एवं पूर्व के वित्तीय सील्ड लिफाफा को तकनिकी निविदा खोलने की तिथि को लौटाने का निर्णय लिया गया।

क्रय समिति के सभी सदस्यों के द्वारा प्रकाशित निविदा के शेष शर्ते पूर्ववत् रहने का निर्णय लिया एवं साथ ही संकल्प संख्या–2988/वि0 दिनांक–23.3.2023 को College Website www.anmmc.ac.in पर अपलोड कराने का निर्णय लिया गया। क्रय समिति के सभी सदस्यों के द्वारा निविदा प्रकाशन हेतु भेजने हेतु सर्वसम्मति से प्राचार्य को प्राधिकृत किया गया।

इस प्रकार क्रय समिति की बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

D Barma 28/3/23 · 28/3/23 · 28/3/23 · 28/03/2023 · 28/3/23 · 28/3/23 · 28/3/23

पत्रांकः-एम-4-06/2023...2388../वि०,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवाएँ प्राप्त करने एवं पारिश्रमिक भुगतान हेतु प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में।

सम्प्रति विभागों एवं विभागान्तर्गत कार्यरत बोर्ड/निगम/सोसाईटी इत्यादि के द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर विभिन्न प्रकार के मानव बल की सेवाएँ प्राप्त की जा रही है । इस क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया में सेवा शुल्क की दर के संबंध में वित्त विभाग से परामर्श की अपेक्षा की जा रही है ।

2. ऐसा पाया जा रहा है कि इस प्रकार की निविदा के क्रम में कई निविदादाता द्वारा निविदा प्राप्त करने हेतु न्यूनतम बोली के रूप में सेवा शुल्क की अव्यवहारिक दर (यथा, 1.00 रूपये से भी कम) अंकित कर दिया जाता है। इस प्रकार के दर का कुप्रभाव सेवा दे रहे मानव बल के पारिश्रमिक पर पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एजेंन्सी द्वारा सेवा शुल्क की भरपाई हेतु अनुचित तरीके अपनाने की संभावना रहती है ।

3. ऐसी स्थिति में सेवा शुल्क की दर के साथ–साथ आउटसोर्सिंग से प्राप्त मानव बल के न्यूनतम पारिश्रमिक एवं अन्य वैधानिक देयता का भुगतान ससमय सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रक्रिया एवं दिशा–निदेश निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है । वित्त मंत्रालय, व्यय प्रभाग, भारत सरकार के Office Memorandum संख्या–F.6/1/2023–PPD दिनांक–06.01.2023 द्वारा आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव बल की सेवाएँ प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क की न्यूनतम एवं अधिकतम दर निर्धारित की गई है।

4. सम्यक विचारोपरांत आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क की दर एवं ऐसे मानव बल के पारिश्रमिक का ससमय भुगतान हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

(i). आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ और 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में) तथा अधिकतम 7 प्रतिशत (संव्यवहार शुल्क सहित) होगी । इसी आधार पर निविदा आमंत्रित की जायेगी।

(ii). उक्त निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से न्यून एवं निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से उच्च दर अंकित करने वाले निविदादाता की वित्तीय निविदा विचारणीय नहीं होगी । सेवा शुल्क के दर में अंकित रूपये में दशमलव के पश्चात 2 अंक से आगे अंकित अंक को नजरअंदाज कर दिया जायेगा ।

(iii). निविदा में यदि एक से अधिक निविदादाता द्वारा उद्धृत (Quoted) न्यूनतम सेवा शुल्क की दर समान पाई जाती है तो वैसी स्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदा का निष्पादन किया जायेगा तथा इस पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करायी जायेगी । निविदा के निष्पादन की पूरी प्रक्रिया में बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित होगा।

(iv). मानव बल को श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं उस पर लागू वैधानिक देयता का भुगतान अनिवार्य होगा और इसे निविदा (Bid) का आधार नहीं बनाया जायेगा ।

(v). चयनित एजेंन्सी द्वारा सेवा प्रदान कर रहे मानव बल को प्रतिमाह पारिश्रमिक के भुगतान में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा । इसके साथ ही पारिश्रमिक का भुगतान मानव बल के आधार संबद्ध बैंक खाता में Real Time Gross Settlement (RTGS) की प्रक्रिया से किया जायेगा। यह भुगतान सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंन्सी को राशि विमुक्ति की तिथि के तीन कार्य दिवस के अन्दर संबंधित एजेंन्सी द्वारा किया जायेगा । संबंधित कार्यालय/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक प्राप्त विपत्र के आलोक में राशि का भुगतान किया जाना होगा । साथ ही सभी वैधानिक कटौती की राशि को ससमय संबंधित प्राधिकार (यथा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि) में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा जमा कराना होगा।

(vi). आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मियों/मानव बल के मासिक पारिश्रमिक भुगतान (आधार संबद्ध खाते में) का साक्ष्य अगले माह के विपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा विपत्र की राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा । साथ ही वैधानिक कटौती/देयता (यथा, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान) की राशि जमा करने का साक्ष्य सहित त्रैमासिक प्रतिवेदन भी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)।
23/3/2023

ज्ञापांक:–एम–4–06/2023...2988.../**वि०,** **पटना, दिनांक**...23/03/2023

प्रतिलिपि:–प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक हेतु प्रेषित ।

सचिव (संसाधन)।
23/3/2023

ज्ञापांक:–एम–4–06/2023...2988.../**वि०,** **पटना, दिनांक**...23/03/2023

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक हेतु प्रेषित ।

सचिव (संसाधन)।
23/3/2023

ज्ञापांक:–एम–4–06/2023...2988.../**वि०** **पटना, दिनांक**...23/03/2023

प्रतिलिपि:–माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव (संसाधन)।
23/3/2023

ज्ञापांक:–एम–4–06/2023...2988.../**वि०** **पटना, दिनांक**...23/03/2023

प्रतिलिपि:–ई–गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन)।
23/3/2023